भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1048
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

आवासीय शिक्षा केन्द्र

1048. **श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बच्चों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई नीतिगत प्रयास कर रही है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान में अधिक संख्या में आवासीय शिक्षा केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक बिना किसी विभाजन के स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से देखती है तथा आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के तहत, संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है, जो योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा पूर्व से अनुमोदित कार्यकलापों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार होता है।

तदनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित घटकों के तहत आवासीय शिक्षा के प्रावधान सहित समतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और समग्र स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे के

(बीपीएल) वर्ग की बालिकाओं हेतु हैं। केजीबीवी की स्थापना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में की जाती है। केजीबीवी की स्थापना का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूहों की लड़कियों तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतराल को कम करना है। केजीबीवी के लिए लक्षित समूह एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों से संबंधित 11-18 वर्ष की आयु की लड़कियाँ हैं जो कक्षा VI से XII में अध्ययनरत हैं। राजस्थान राज्य से प्राप्त एडब्ल्यूपी एंड बी प्रस्ताव (2024-25) के अनुसार, केजीबीवी की विभिन्न गतिविधियों के लिए 20198.112 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी), लड़कियों, शहरी वंचित और अन्य वंचित बच्चों जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों, रेगिस्तान, प्राकृतिक बाधाओं वाले क्षेत्रों, पहाड़ी और दुर्गम भूभाग आदि में रहने वाले बच्चों तक पहुंचने के लिए आवासीय विद्यालय हैं। स्कूली शिक्षा में आवासीय सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों का समर्थन करते समय, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी) और नीति आयोग द्वारा पहचाने गए सभी आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। राजस्थान राज्य से प्राप्त एडब्ल्यूपी एंड बी प्रस्ताव (2024-25) के अनुसार, 2205.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 5 एनएससीबीएवी को मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) जनजातीय कार्य मंत्रालय का अभियान है और इसे इस विभाग की समग्र शिक्षा योजना के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक है, इस अवधि के दौरान समग्र शिक्षा के तहत 500 छात्रावासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का लक्ष्य 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले 75 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास करना है। इस अभियान में संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर इन गांवों में शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। अब तक, राजस्थान राज्य के लिए 920 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 4 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)

डीएजेजीयूए जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना है और इसे इस विभाग की समग्र शिक्षा योजना के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2024-25 से 2028-29) में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। शिक्षा मंत्रालय के तहत इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले जिला/ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में 1000 छात्रावासों की स्थापना करके अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफ़ायती और सुलभ बनाकर अच्छी शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाना है। अब तक, राजस्थान राज्य के लिए 7260 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 30 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

*****